जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गोड्डा।

सी0सी0ए0 केश नं0–19/2024–25

सरकार

बनाम्

जहीरूद्दिन अंसारी

–: आदेश :–

दिनांक 30/10/24

विपक्षी की ओर से दाखिल कारण–पृच्छा एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के पत्रांक–417/डी0सी0बी0 दिनांक–19.10.2024 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने बोआरीजोर थाना के अपराधकर्मी जहीरूद्दिन अंसारी, उम्र–33 वर्ष, पिता–अब्दुल रहीम अंसारी, सा0–रहरबड़िया, थाना–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–2 (डी) के अन्तर्गत परिभाषित असामाजिक तत्व है, के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–3(i)(ए)(बी)(i)(ii) के अन्तर्गत थाना हाजिरी करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि अपराधकर्मी जहीरूद्दिन अंसारी, उम्र–33 वर्ष, पिता–अब्दुल रहीम अंसारी, सा0– रहरबड़िया, थाना–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा एक असामाजिक तत्व है, जिसके द्वारा लम्बे अरसे से बोआरीजोर थाना क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसकी विस्तृत विवरणी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, महागामा के द्वारा समर्पित प्रस्ताव में अंकित है।

आपराधिक इतिहास :–

1. बोआरीजोर थाना काण्ड सं0–07/2019 दिनांक–22.05.2019 धारा–395/397 भा0द0वि0।
2. बोआरीजोर थाना काण्ड सं0–19/2019 दिनांक–30.08.2019 धारा–399/402 भा0द0वि0 एवं 25(1–बी0)ए/26/35 आर्म्स एक्ट।
3. ठाकुरगंगटी थाना काण्ड सं0–28/19 दिनांक–02.06.2019 धारा– 395 भा0द0वि0।

उपरोक्त काण्ड में अपराधकर्मी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जो वर्तमान में माननीय न्यायालय, गोड्डा से जमानत पर मुक्त है।

आगे प्रतिवेदन है कि यह एक परिभाषित असामाजिक तत्व है, जिसका कार्य समाज में अराजकता फैलाना, ग्रामीणों को भयादोहन करना, रंगदारी वसूलना, अपराधिक घटनाओं को अंजाम देना इत्यादि जैसे कई कांड अंकित किये गये है, जिसका उल्लेख अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, महागामा के प्रस्ताव में किया गया है। इसके विरूद्ध बोआरीजोर थानान्तर्गत काण्ड के अलावे असामाजिक गतिविधि के लिए सन्हा भी दर्ज किया गया है। इसके बाहर रहने से लोक व्यवस्था पूरी तरह से भंग होने की संभावना बनी हुई है। अपराधकर्मी जहीरूद्दिदन अंसारी, उम्र–33 वर्ष, पिता–अब्दुल रहीम अंसारी, सा0–रहरबड़िया, थाना–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–3(i)(ए)(वी)(i)(ii) के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए थाना हाजिरी कर निगरानी रखना अति आवश्यक है। इसके बाहर रहने से बोआरीजोर थाना क्षेत्र के आस–पास के गॉव एवं थाना क्षेत्र के ग्रामीणों में काफी भय का माहौल बना हुआ है, जिससे लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतएव आम लोगों पर भयांक्रांत खौफ, दहशत देखने को मिल रहा है। इसका पुष्टि बोआरीजोर थाना में दर्ज सन्हा से प्रतीत होता है, जो इनके असामाजिक तत्व होने को प्रमाणित करता है। इनके विरूद्ध दर्ज किये गये आपराधिक इतिहास निम्नांकित है, जो वर्तमान में माननीय न्यायालय, गोड्डा में विचाराधीन है।

वर्तमान में उक्त अपराधकर्मी के विरूद्ध दर्ज सन्हा बोआरीजोर थाना दैनिकी सन्हा संख्या–15/23 दिनांक–07.06.2023 समय 16:30 बजे एवं बोआरीजोर थाना सन्हा सं0–10/2023 दिनांक–10.06.2023 समय 10:30 बजे अंकित है।

आगे प्रतिवेदन में उल्लेख है कि जहीरूद्दिदन अंसारी, पिता –अब्दुल रहीम अंसारी, सा0–रहरबड़िया, थाना–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–02(क) में परिभाषित असमाजिक तत्व है, जिनका मुख्य कार्य समाज में अराजकता फैलाना, ग्रामीणों का भयादोहन करना रंगदारी वसूलना, अपराधिक घटनाओं को अंजाम देना इत्यादि है। यह अपराधी जेल से जमानत पर छुटकर बाहर आया है। इनके जेल से छुटने पर बोआरीजोर थाना एवं सीमावर्ती थाना क्षेत्रों के लोगों में भय व्याप्त है तथा इनके घर पर अक्सर संदिग्ध लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिससे आमजनों में भय का माहौल बन गया है। इनके भय को आमजनो में कम करने के लिए इनकी निगरानी रखना आवश्यक है,

जिसके लिए इन्हे थाना पर हाजिरी कराकर निगरानी रखने पर आमजनों में दहशत का माहौल नियंत्रण में रहेगा। उक्त अपराधकर्मी के विरूद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002(1981) की धारा–3(i)(ए)(बी)(i)(ii) के अन्तर्गत कार्रवाई करने से आम जनता के मनोबल में वृद्धि होगी तथा दहशत का माहौल नियंत्रित होगा, जो बोआरीजोर थाना एवं सीमावर्ती थाना क्षेत्रों में लोक शांति व्यवस्था बनाये रखने में सहायक सिद्ध होगा।

विपक्षी को कारण–पृच्छा दाखिल करने के लिए नोटिश निर्गत किया गया है। विपक्षी की ओर से कारण–पृच्छा दाखिल कया गया है। विपक्षी का कथन है कि विपक्षी को फसाया गया है। विपक्षी 2019 के बाद कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। वे कभी भी किसी अपराध में शामिल नहीं था। इसलिए विपक्षी के विरूद्ध चलाये गये वर्तमान वाद की प्रक्रिया को समाप्त करने की कृपा की जाय।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकनोपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि जहीरूद्दिन अंसारी, उम्र–33 वर्ष, पिता–अब्दुल रहीम अंसारी, सा0–रहरबड़िया, थाना–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा एक अपराधकर्मी है। विपक्षी के विरूद्ध बोआरीजोर थाना काण्ड सं0–07/2019 दिनांक–22.05.2019 धारा–395/397 भा0द0वि0,बोआरीजोर थाना काण्ड सं0–19/19 दिनांक–30.08.2019 धारा–399/402 भा0द0वि0 एवं 25(1–बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट एवं ठाकुरगंगटी थाना काण्ड सं0–28/19 दिनांक–02.06.2019 धारा–395 भा0द0वि0 तथा बोआरीजोर थाना दैनिकी सन्हा संख्या–15/23 दिनांक–07.06.2023 एवं बोआरीजोर थाना सन्हा सं0–10/2023 दिनांक–10.06.2023 सन्हा दर्ज है। इसके बाहर रहने से लोक व्यवस्था प्रभावित हो सकते हैं। जिन्हे लोक–हित में निगरानी रखने हेतु थाना हाजिरी किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विचारोपरांत पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के अनुशंसा के आलोक में पूर्णरूपेन संतुष्ट होकर झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002(1981) की धारा–3(3)(बी)(i) के प्रावधानों के तहत जहीरूद्दिन अंसारी, उम्र–33 वर्ष, पिता–अब्दुल रहीम अंसारी, सा0–रहरबड़िया, थाना–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि वे आदेश की तिथि से दिनांक–30.01.2025 (दिनांक–20.11.2024 को छोड़कर) तक लगातार अपने दैनिक गतिविधि का सूचना एवं अपनी उपस्थिति इस आदेश में वर्णित, जिसका विवरण निम्नांकित है :–

दैनिक गतिविधि एवं उपस्थिति दर्ज करने का समय

सुबह – 07 बजे से 09 बजे के बीच

शाम – 04 बजे से 06 बजे के बीच

दोनों समय में से किसी एक समय प्रत्येक दिन (दिनांक–20.11.2024 को छोड़कर) श्री पंकज कुमार सिंह, थाना प्रभारी, ठाकुरगंगटी, मो0 नं0–9431134790 के समक्ष दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। थाना प्रभारी, ठाकुरगंगटी को आदेश दिया जाता है कि वे जहीरूद्दिन अंसारी का प्रत्येक दिन (दिनांक–20.11.2024 को छोड़कर) का गतिविधि एवं उपस्थिति लगातार दिनांक–30.01.2025 तक दर्ज करेंगे एवं इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को समर्पित करेंगे।

182
01/11/24

आदेश का अनुपालन हेतु आदेश की प्रतिलिपि विपक्षी एवं थाना प्रभारी, ठाकुरगंगटी को देगें तथा इसकी प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को भी निर्गत करेंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

जिला दण्डाधिकारी,
गोड्डा।

जिला दण्डाधिकारी,
गोड्डा।

Digitally signed by Anjali Yadav
Date: 2025.11.12 12:44:20 +05:30
Location: 192.168.1.9